नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org, ructarashtriya@gmail.com

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305001 (राज.)

अध्यक्ष : डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर मो. 9414452369, 9983007575

महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2018-19/03 मार्गशीर्ष पूर्णिमा वि. स. २०७५ तदनुसार 22 दिसम्बर, 2018
(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार।

57वें प्रांतीय अधिवेशन के आयोजन की सूचना, नई सरकार को बधाई, वरिष्ठ व चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 के आदेश, राज्य कर्मचारियों के समान एच.आर.ए. के आदेश, यूजीसी रेगुलेशन 2018 की विसंगतियों पर प्रतिवेदन आदि जानकारियों एवं संगठन की अन्य गतिविधियों के विवरण सहित यह परिपत्र प्रस्तुत है।

57 वाँ प्रांतीय अधिवेशन 6-7 जनवरी को अजमेर में आयोज्य

संगठन का 57वाँ प्रदेश अधिवेशन पौष शु. १-२ विक्रम संवत् २०७५ तद्नुसार दिनांक 6 व 7 जनवरी 2019 को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में आयोजित किया जाएगा। 6 जनवरी 2019 को प्रात: 11 बजे से अधिवेशन प्रारम्भ होगा। प्रथम दिन उद्घाटन समारोह, देराश्री स्मृति व्याख्यान एवं खुला सत्र आयोजित किए जाएँगे। 7 जनवरी 2019 को प्रात: 9 बजे शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसका विषय *''भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा : आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं समाधान''* है। शिक्षक साथियों से आग्रह है कि संगोष्ठी हेतु अपना शोध पत्र info@ructarashtriya.org पर भिजवाएँ। शैक्षिक संगोष्ठी के पश्चात् समारोप कार्यक्रम सम्पन्न होगा। अधिवेशन के विभिन्न सत्रों में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, राजनैतिक व्यक्तित्वों, शिक्षाविदों तथा अखिल भारतीय अधिकारियों का सान्निध्य प्राप्त होगा। सभी शिक्षक साथियों से विनम्र अनुरोध है कि अधिवेशन में पूरे समय रुक कर सक्रिय सहभागिता करें। कार्यकारिणी के निर्णयानुसार अधिवेशन को स्ववित्तपोषी करने एवं आयोजन में सभी सदस्यों की सहभागिता के लिए वार्षिक सदस्यता संग्रहण के साथ अधिवेशन हेतु प्रति सदस्य रु. 100 की सहयोग राशि एकत्रित की गई थी। अत: अधिवेशन में पंजीयन शुल्क इस वर्ष रु. 200 के स्थान रु. 100 प्रति संभागी ही रखा गया है। सभी इकाई सचिवों से आग्रह है कि स्थानीय इकाई की बैठक अविलम्ब आयोजित कर समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव पारित करवा कर ई-मेल से भिजवाएँ।

शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1. **नई सरकार को बधाई एवं निवर्तमान सरकार का धन्यवाद** - नवीन सरकार गठन के अवसर पर संगठन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, उपमुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी एवं उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। संगठन अपेक्षा करता है नवीन सरकार उच्च शिक्षा एवं उसमें कार्यरत शिक्षकों के हित में कार्य करेगी तथा निवर्तमान सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए किए गए उत्तम कार्यों की परंपरा को जारी रखा जाएगा।

संगठन निवर्तमान सरकार विशेष तौर पर निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी एवं श्री कालीचरणजी सराफ का शिक्षक हितकारी कार्यों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन एवं प्रोफेसर पदों का सृजन करने, बिना कमेटी बनाए हुए नवीन यूजीसी वेतनमान देने, वर्षों से रिक्त पड़े शिक्षक पदों पर 1250 से अधिक नियुक्तियां तथा 31 दिसंबर 2018 तक रिक्त होने वाले 850 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने, 30 जून 2017 तक महाविद्यालय शिक्षकों को सीएएस का लाभ देने, सीएएस के नियमों का शिक्षक हित में सरलीकरण करने, राज्य कर्मचारियों के समान तिथि से ही मकान किराए भत्ते का लाभ देने, राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों एवं संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान देने , टीआरएफ/पीडीएफ आदि योजनाओं में स्वीकृत अवकाश अवधि के लिए तथा आयुक्तालय व अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों हेतु एपीआई अंकों में छूट देने, विश्वविद्यालयों के परीक्षा पारिश्रमिक दर में वृद्धि करने, प्रायोगिक परीक्षा हेतु कर्तव्य पर मानने, 1994 के बाद नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करने, 1992 के बाद पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों के लिए अद्यतन नियम बनाकर प्रक्रिया प्रारंभ करने, रिफ्रेशर/ओरिएंटेशन कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने जैसे शिक्षक हितार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। कुछ समस्याएं अब भी लंबित है। संगठन उम्मीद करता है कि नवीन सरकार लंबित समस्याओं के समाधान में अपेक्षित तीव्रता एवं सदाशयता दिखाएगी तथा राज्य की उच्च शिक्षा के समग्र विकास में निष्पक्ष रुप से कार्य करेगी।

2. **प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा का स्वागत** - प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) श्रीमती रोली सिंह एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा श्री प्रदीपकुमार बोरड़ द्वारा पदभार ग्रहण करने पर संगठन उनका स्वागत करता है एवं अपेक्षा करता है कि उनके कार्यकाल में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों एवं उच्च शिक्षा दोनों के हित में कार्य किया जायेगा। संगठन निवर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) श्री सुबोध अग्रवाल एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर का शिक्षक हितार्थ विभिन्न विषयों पर सहयोग करने एवं सकारात्मक रवैया अपनाने हेतु आभार व्यक्त करता है तथा उनके द्वारा नवीन पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं प्रेषित करता है।

3. **30 जून 2017 तक वरिष्ठ,चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 हेतु आदेश जारी** - संगठन के निरंतर दबाव के चलते आयुक्तालय द्वारा 13 दिसम्बर 2018 को क्रमांक एफ1(92)पीएस/आकाशि/13/पार्ट1/1334-1336 द्वारा 30 जून 2017 तक पात्र 273 शिक्षकों को पे बैंड-4, 164 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 23 शिक्षकों को चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए। इस प्रकार कुल 460 शिक्षकों को सीएएस योजना में लाभ मिला।

30 जून 2017 तक सीएएस योजना में वरिष्ठ,चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 हेतु पात्र शिक्षकों के लिए नियमों का सरलीकरण कर स्क्रीनिंग करवाने हेतु रुक्टा (राष्ट्रीय) ने भगीरथ प्रयास किए। संगठन के प्रयासों से कुछ समय पूर्व इस संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत फाइल को लोक सेवा आयोग भिजवाने तथा स्क्रीनिंग बैठक हेतु लोक सेवा आयोग से शीघ्र तिथि दिलवाने हेतु संगठन निरंतर प्रयासरत रहा और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के संपर्क में रहकर दबाव बनाए रखा। 5 दिसम्बर 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव(उच्च शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा, सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग, सचिव कार्मिक विभाग व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सीएएस हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। संगठन इस विषय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयासरत था। कई मौकों पर बहुत मुश्किलें भी सामने आई किंतु आप सबके प्रेम, विश्वास और शुभकामनाओं के परिणामस्वरूप अंतत: लक्ष्य प्राप्त हुआ। लाभान्वित शिक्षकों को संगठन बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता है। कुछ शिक्षकों के सीएएस प्रकरण कतिपय कमियों के कारण रुके हैं, उन्हें पूरा करवा कर शीघ्र ही शेष साथियों को भी लाभ दिलवाने के प्रयास संगठन ने प्रारम्भ कर दिए हैं।

4. **राज्य कर्मचारियों के समान ही मकान किराया भत्ता देने के आदेश जारी** - संगठन के लगातार प्रयत्नों से वित्त विभाग की स्वीकृति पश्चात शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग ने क्रमांक प.1(41)/शिक्षा-4/2016 दिनांक 16-11-2018 द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2017 से अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति ही मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता देने संबंधी निर्देश आयुक्तालय के लिए जारी किए। जिसकी अनुपालना में आयुक्त कॉलेज शिक्षा ने क्रमांक

एफ25(जे)(1)(यूजीसी)लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2018/3163-3165 दिनांक 26-11-2018 द्वारा उपर्युक्त आदेश के अनुरूप वेतन नियतन प्रपत्र तैयार करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

ध्यात्व्य है कि राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए नवीन यूजीसी वेतनमान जारी होते समय एचआरए व सीसीए आदि का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके कारण असमंजस और भ्रम की स्थिति निर्माण हुई थी। संगठन ने शासन को स्पष्ट रूप से शिक्षकों का पक्ष बताते हुए अवगत करवा दिया था कि एचआरए एवं सीसीए आदि भत्तों की दरें व लागू करने की तिथि अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति 1 अक्टूबर 2017 ही रखते हुए आदेश जारी किए जाए। संगठन इस विषय को लेकर निरंतर जागरूक एवं प्रयत्नरत रहा, फलस्वरूप अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि छठे वेतन आयोग के आदेशों में महाविद्यालय शिक्षकों को मकान किराया भत्ता 1 अक्टूबर 2009 (1.1.2006 से 46 माह बाद) दिया गया था, इस बार हमें यह लाभ 1 अक्टूबर 2017 अर्थात् पिछली बार की तुलना में 24 माह पूर्व मिला है। छठे वेतनमान के समय अन्य राज्य कर्मचारियों की तुलना में हमें 13 माह का नुकसान झेलना पड़ा था (उन्हें 1 सितंबर 2008 से इन भत्तों का लाभ मिला था)।

5. **नवीन यूजीसी वेतनमान में वेतन नियतन प्रक्रिया प्रारम्भ** - वित्त विभाग द्वारा सातवें वेतनमान में भी छठे वेतनमान के समान ही वेतन नियतन आयुक्तालय स्तर पर ही किये जाने के आदेश दिए गए किन्तु एचआरए एवं सीसीए संबंधी निर्देशों की कमी के चलते पे फिक्सेशन का कॅलेंडर जारी नहीं किया गया था। संगठन के प्रयासों से भत्तों संबंधी अपेक्षित निर्देश जारी हुए। इन निर्देशों के जारी होने के उपरान्त संगठन ने शीघ्र पे फिक्सेशन कॅलेन्डर जारी करने हेतु दबाव बनाया। संगठन के प्रयासों की परिणीति में आयुक्तालय द्वारा नवीन यूजीसी वेतनमान में वेतन नियतन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। संगठन ने सरकार से वित्त विभाग के आदेश मे दी गई प्रक्रिया अनुसार शीघ्र अन्य सभी महाविद्यालयों के लिए पे फिक्सेशन कैलेंडर जारी करने की मांग की है, ताकि शिक्षकों को उनका वित्तीय अधिकार मिल सके।

6. **पे मैनेजर में नवीन यूजीसी वेतनमान के अनुरूप संशोधन** - संगठन के प्रयत्नों से नवीन यूजीसी वेतनमान के आदेश तो जारी हुए किन्तु वेतन नियतन में एक अड़चन पे मैनेजर पर नवीन यूजीसी वेतनमान के अनुरूप पे मैट्रिक्स के नहीं होने से संबंधित थी। इसे लेकर संगठन ने विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त कॉलेज शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) एवं वित्त विभाग तक पहुंचाया तथा निरंतर इस संबंध में शीघ्र निर्णय करवाने के लिए संगठन लगा रहा। संगठन की सक्रियता के चलते पे मैनेजर में नवीन यूजीसी वेतनमान के अनुरूप पे मैट्रिक्स एनआईसी द्वारा संशोधित कर दी गई, फलस्वरूप आयुक्तालय द्वारा शिक्षकों के क्रमशः वेतन नियतन प्रारम्भ हो गए हैं। पे मैनेजर में एक अन्य विसंगति पदनाम परिवर्तन की है। यह प्रक्रिया आईएफएमएस द्वारा की जानी थी, संगठन द्वारा उन्हें पदनाम परिवर्तन संबंधी अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई थी, किन्तु प्रत्येक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की अलग-अलग संख्या निश्चित नहीं होने से अपेक्षित संशोधन नहीं हो पाया है। संगठन ने इस संबंध में दोनों पदों की संयुक्त संख्या को निश्चित करने का सुझाव सरकार को दिया है।

7. **यूजीसी रेगुलेशन 2018 की विसंगतियों के सबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत** - संगठन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विसंगति निवारण समिति के समक्ष यूजीसी रेगुलेशन 2018 में रही न्यूनताओं को लेकर शिक्षकों का विस्तृत पक्ष प्रस्तुत किया गया है। संगठन ने एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु पीएचडी की अनिवार्यता का विरोध करते हुए यूजीसी को बताया है कि जो शिक्षक पहले से सेवा में हैं और नवीन रेगुलेशन के प्रकाशन के बाद एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे वे सेवा में अलग रेगुलेशन के अंतर्गत आए थे, अतः मध्य में इस प्रकार पदोन्नति के मापदण्ड बदलना करना अनुचित है। इसके अलावा कई शिक्षक दूरस्थ महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, जहां शोध सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत शोध करने के इच्छुक शिक्षकों के लिए परिस्थितियां राजस्थान में बहुत अनुकूल नहीं है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है ऐसी स्थिति में या तो शिक्षकों के आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं किए जाते या उन्हें अपेक्षित अवकाश नहीं दिया जाता है। इसके अलावा पीएचडी हेतु कोर्स वर्क की अनिवार्यता भी सेवारत शिक्षक के लिए एक बड़ी मुश्किल है क्योंकि इसे नियमित आधार पर ही करना होता है तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में इसके लिए किसी प्रकार की फैलोशिप या सवैतनिक अवकाश का प्रावधान नहीं है।

संगठन ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर (सलेक्शन ग्रेड/एकेडमिक लेवल 12) पद पर पदोन्नति हेतु पीएचडी की अनिवार्यता को भी अनुचित ठहराया है। पिछले रेगुलेशन में नॉन पीएचडी शिक्षक कॅरियर एडवांसमेंट योजना में पदोन्नति के पात्र थे, किंतु नवीन रेगुलेशन में बीच में ही शर्तें बदलने के कारण उनके साथ गंभीर अन्याय होगा। यदि कोई शिक्षक आज पीएचडी के लिए पंजीकृत होता है तो शोध कार्य की गहराई और गुणवत्ता के अनुसार 5 से 7 साल उसे अपनी पीएचडी पूर्ण करने में लग सकते हैं, ऐसी स्थिति में उसे समय पर कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत लाभ नहीं देना भेदभावपूर्ण होगा। इससे कई विधिक प्रकरण भी उत्पन्न होंगे। संगठन ने विश्वविद्यालयों में 1 जुलाई 2021 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी डिग्री को अनिवार्य किए जाने के औचित्य पर भी प्रश्न उठाया है। संगठन ने यूजीसी को बताया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उच्च शिक्षा में एंट्री लेवल भर्ती पर आवश्यक किया गया है। योग्य एवं प्रतिभाशाली अभ्यर्थी को मात्र इस कारण से विश्वविद्यालय में अध्यापन करने से 5-7 वर्ष रोकना, कि वह पीएचडी नहीं है, उसकी योग्यता के साथ न्याय नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी आशंका है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए येन केन प्रकरेण पीएचडी करने हेतु एक चूहा दौड़ प्रारंभ हो सकती है, इससे शोध की गुणवत्ता तथा योग्य अभ्यर्थी के चयन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होंगे। संगठन ने यूजीसी को सुझाया है कि केवल विश्वविद्यालय विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद की सीधी नियुक्ति के लिए ही पीएचडी अनिवार्य की जानी चाहिए। संगठन ने महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद हेतु न्यूनतम शोध पत्रों की संख्या 10 के स्थान पर 7 करने की मांग की है, ताकि संसाधनों की कमी वाले महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी समान अवसर प्राप्त हो सके।

नवीन यूजीसी रेगुलेशन में पीएचडी हेतु अध्ययन अवकाश को पदोन्नति के लिए अध्यापन अनुभव के रूप में नहीं जोड़ने पर संगठन ने आपत्ति उठाई है। संगठन ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि अधिकांश सेवारत शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना के अंतर्गत अध्ययन अवकाश लेकर पीएचडी करते रहे हैं, यदि इस अवधि को पदोन्नति के लिए अध्यापन अनुभव के रूप में नहीं जोड़ा जाता है तो अपने सेवाकाल में ब्रेक के लिए शिक्षक तैयार क्यों कर होगा? कुल मिलाकर यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना को लकवाग्रस्त करने तथा शोध को हतोत्साहित करने का कदम सिद्ध होगा।

संगठन ने कॅरियर एडवांसमेंट योजना हेतु रिसर्च स्कोर सारणी में कतिपय खामियों की ओर भी यूजीसी का ध्यान दिलाया है। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, कॉन्फ्रेंस में पोस्टर प्रजेंट करने, लोकप्रिय लेख लिखने आदि के भी शोध अंक देने की मांग संगठन ने की है। संगठन ने राज्यों एवं केंद्र के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों/विश्वविद्यालयों तथा ऐसी ही संस्थाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों में लेखक होने, किसी पत्रिका या जर्नल का संपादक होने आदि के अंकों की व्यवस्था भी यूजीसी रेगुलेशन में करने का मुद्दा उठाया है। इसी प्रकार कला संकाय और विज्ञान संकाय में शोध पत्रों के अंकों में भेदभाव को समाप्त करने एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षक को सम्मानित करने पर अंक देने की व्यवस्था करने की मांग संगठन द्वारा यूजीसी से की गई है।

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के शॉर्टलिस्टिंग करने के मापदंडों को अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने की मांग संगठन द्वारा की गई है। नवीन यूजीसी रेगुलेशन में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मुख्यत: स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त प्रतिशत के आधार पर अकादमिक अंक दिए जाने का प्रावधान है। संगठन ने यूजीसी को ध्यान में दिलाया है कि देश के विभिन्न संस्थानों में परीक्षा, पाठ्यक्रम तथा मार्किंग पेटर्न में अत्यधिक विविधता है। कुछ निजी संस्थान अनैतिक गतिविधियों का सहारा लेते हुए अपने विद्यार्थियों को अनुचित रूप से उच्च अंक प्रदान करते हैं, इस कारण सरकारी व निजी क्षेत्र के विद्यार्थियों के मध्य शॉर्टलिस्टिंग में एक बड़ा अंतराल आने की संभावना है। संगठन ने मांग की है कि भर्ती के मापदंडों हेतु एक सार्वभौमिक, निष्पक्ष एवं उचित तंत्र विकसित किया जाए जो विभिन्न संस्थाओं के स्कोरिंग पैटर्न के मध्य समता की गारंटी देता हो। संगठन ने अंतिम चयन में साक्षात्कार को किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक भार नहीं देने की मांग की है।

संगठन ने पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों की सेवा शर्तों, पदोन्नति, पेंशन परिलाभ, वेतनमान आदि शिक्षकों के समान ही रखने की मांग भी की है। राजस्थान की स्थिति से यूजीसी को अवगत कराते हुए संगठन ने उचित शिक्षक-

विद्यार्थी अनुपात लागू करने की मांग की है। संगठन ने यूजीसी को ध्यान में दिलाया है कि राजस्थान में 100 विद्यार्थियों तक का एक सेक्शन बनाया जा रहा है जो किसी भी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। संगठन ने सुझाया है कि स्नातक कोर्सेज के लिए समाज विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में 25 विद्यार्थी पर एक तथा विज्ञान विषय में 20 विद्यार्थी पर एक शिक्षक नियुक्त करने के नियम बनाए जाएं। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए समाज विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में 15 विद्यार्थियों पर एक तथा विज्ञान विषयों में 10 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त करने की मांग संगठन ने की है। प्रायोगिक कार्यों के लिए 12 स्नातक विद्यार्थियों के एक बैच पर एक शिक्षक तथा 10 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बैच पर एक शिक्षक की व्यवस्था करने के मापदंड सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वीकृत फैकल्टी पदों को नियमित नियुक्ति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था रेगुलेशन में करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने यूजीसी को सुझाव दिया है कि यदि वर्ष के अंत में किसी राज्य में 15 प्रतिशत से ज्यादा शैक्षणिक पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में आगे अनुदान रोकना या मान्यता स्थगित करना एक उपाय हो सकता है।

संगठन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर 2017 को जारी पत्र पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। राज्य पोषित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को नवीन यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिए आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का न्यूनतम 80 प्रतिशत, 5 वर्षों तक वित्तीय सहायता के रूप में केंद्र से जारी करने की मांग संगठन ने की है। इसी प्रकार प्रत्येक अकादमिक लेवल के लिए इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन न्यूनतम 2.72 रखने की मांग भी की गई है। संगठन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आकर्षित करने तथा सेवा में अधिक योग्यता के साथ देर से प्रवेश करने को दृष्टिगत रखते हुए अकादमिक लेवल 10 के स्थान पर 11 और इसी प्रकार अकादमिक लेवल 11, 12, 13ए व 14 के स्थान पर क्रमश: 12, 13ए, 14, 15, करने की मांग की है। संगठन ने यह भी सुझाव दिया है की केंद्रीय सहायता राज्य सरकारों को तभी जारी की जाए जब वे यूजीसी रेगुलेशन को एक कंपोजिट स्कीम के रूप में अपने राज्य में लागू करें। संगठन ने यूजीसी को ध्यान में दिलाया है कि पूर्व में भी झूठे घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता का अंश प्राप्त कर लिया गया था। संगठन ने यह सारा विषय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संज्ञान में भी लाया है। महासंघ द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन यूजीसी अध्यक्ष को दिया गया है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल ने बताया है कि शीघ्र ही रुक्टा (राष्ट्रीय) एवं देश भर के अन्य संबद्ध संगठनों द्वारा मिले सुझावों के आधार पर यूजीसी अध्यक्ष से विस्तृत वार्ता की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि रुक्टा (राष्ट्रीय) एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की निरंतर जागरूकता एवं दबाव के चलते नवीन यूजीसी रेगुलेशन में कई शिक्षक हितकारी प्रावधान पहली बार हुए हैं। पिछले रेगुलेशन की एपीआई व्यवस्था को समाप्त कर सीएएस योजना को सरलीकृत करने, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर सीमा के उल्लेख को समाप्त करने, स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्य को प्रोफेसर ग्रेड देने, विश्वविद्यालय विभागों में सीनियर प्रोफेसर के पद सृजित करने, रिफ्रेशर/ओरिएंटेशन कोर्स की छूट अवधि 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने, उच्च शिक्षा संस्थानों में ठहराव की अवधि 7 घंटे के स्थान पर 5 घंटे ही रखने तथा अध्यापन कार्य भार में से न्यूनतम शब्द हटाने जैसे कई प्रावधान संगठन की सक्रियता, उसके द्वारा समय-समय पर प्रेषित ज्ञापनों एवं यूजीसी व एमएचआरडी के अधिकारियों से भेंटवार्ताओं के कारण संभव हो पाया है। संगठन में यूजीसी अध्यक्ष को नवीन यूजीसी रेगुलेशन में इन शिक्षक हितकारी व्यवस्थाओं के साथ इस हेतु भी आभार जताया है कि यूजीसी ने रेगुलेशन को 6 माह के भीतर राज्यों द्वारा लागू करने का प्रावधान किया है। संगठन ने यूजीसी को अपनी चिंता से अवगत कराया है कि राज्य सरकारें इस प्रावधान का पालन करें, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने एक विसंगति निवारण समिति का गठन करके एक पब्लिक नोटिस जारी किया था जिसमें हितधारकों से 15 दिसंबर 2018 तक आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए थे। संगठन शिक्षक हितों के लिए सदैव जागरूक एवं सक्रिय रहता है। संगठन ने निश्चित समय अवधि में विस्तृत पक्ष यूजीसी के समक्ष रखा है। संगठन नजर रखेगा कि यूजीसी संगठन द्वारा रखे गए पक्ष पर किस तरह का निर्णय लेती है, उसके अनुरूप आगे गतिविधि की रूपरेखा तय की जायेगी।

सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

1. **संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न** - संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह की अध्यक्षता में 16 दिसम्बर 2018 को देराश्री शिक्षक सदन, जयपुर में सम्पन्न हुई। सामूहिक सरस्वती प्रार्थना से बैठक का प्रारम्भ हुआ। महामंत्री ने गत बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन के समक्ष रखा, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद महामंत्री ने गत बैठक के पश्चात् संगठन की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी से सदन को अवगत करवाया। अगले सत्र में कार्यकारिणी सदस्यों ने लम्बित शिक्षक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करते हुए शिक्षक हित में उनके शीघ्र समाधान की मांग की। महामंत्री द्वारा लम्बित समस्याओं के संबंध में संगठन के प्रयासों की जानकारी देते हुए और अधिक घनीभूत कार्य करने का विश्वास दिलाया गया। इसके बाद विभागशः आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कार्यकारिणी ने वार्षिक पंचाग के अनुसार अधिवेशन आयोजन के स्थान व तिथि के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया तथा अन्तिम निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष एवं महामंत्री को अधिकृत किया। अध्यक्षीय उद्‌बोधन देते हुए डॉ. दिग्विजयसिंह ने कहा कि संगठन की पहचान उसके कार्यकर्ताओं के व्यवहार एवं कार्यशैली से होती है। उन्होंने कहा कि संगठन की कार्य पद्धति में व्यक्ति निष्ठा नहीं विचार निष्ठा महत्वपूर्ण है। अंत में गत बैठक के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथियों डॉ. गोपाललाल शर्मा, दौसा, डॉ. जीवराज सोनी बीकानेर, डॉ. कैलाश स्वरूप शर्मा जोधपुर एवं डॉ. वी.के. जैन भरतपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया गया तथा दो मिनट का मौन रख कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

2. **वार्षिक सदस्यता अभियान सम्पन्न** - संगठन के वार्षिक सदस्यता अभियान के अन्तर्गत 2 जुलाई से 16 जुलाई 2018 तक सदस्यता एकत्रित की गई। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर सदस्यता प्राप्त की गई। 16 जुलाई तक एकत्र कुल सदस्यता 5550 रही, लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त शिक्षकों की सदस्यता का संग्रहण कार्यकारिणी के निर्णयानुसार वर्ष भर खुला रहना है। पिछले कई वर्षों से राजकीय महाविद्यालयों के लगभग 95 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की सदस्यता के साथ रुक्टा (राष्ट्रीय) राज्य की उच्च शिक्षा में एक मात्र प्रभावी संगठन है जो शिक्षा एवं शिक्षक हितों में निरन्तर कार्यरत है। 16 जुलाई तक एकत्र विभागवार सदस्यता का विवरण इस प्रकार है :-

   भरतपुर (288) - राजकीय महाविद्यालय भरतपुर-102, डीग-7, बयाना-9, धौलपुर-26, राजाखेड़ा-4, बाड़ी-1, कन्या भरतपुर-29, कन्या बयाना-2, कन्या धौलपुर-5, विधि भरतपुर-2, विधि धौलपुर-1, **निजी महाविद्यालय** अग्रसेन महिला भरतपुर-12, एस.आर.पी.जी. कुम्हेर-2, श्री राधेय पी.जी. नदबई-8, महाराजा सूरजमल उच्चैन-6, राधा रानी कन्या सदावल-1, पी.डी. कन्या बैर-10, टी.पी.एस. हलेना-6, उत्कर्ष बैर-3, बांकेबिहारी डीग-3, गांधी ज्योति सावर-2, हरिदत्त सेवर-2, जी.आई.एम.टी. भरतपुर-3, गांधी टीटी भरतपुर-3, अग्रसेन टी.टी. भरतपुर-10, खण्डेलवाल टी.टी. भरतपुर-7, मदर टेरेसा भरतपुर-1, सूरजमल टीटी उच्चैन-6, युनिवर्सल टीटी भरतपुर-1, आनंद टीटी भरतपुर-8, मारुति टीटी-1, अभियांत्रिकी भरतपुर-3, पॉलिटेकनिक भरतपुर-1

   अलवर (398) - राजकीय महाविद्यालय राजर्षि अलवर-59, कला अलवर-92, वाणिज्य अलवर-9, थानागाजी-11, गोविन्दगढ़-2, बीबीरानी-7, राजगढ़-36, तिजारा-5, बहरोड़-21, बाँदीकुई-24, कन्या अलवर-56, पॉलिटेक्निक अलवर व करौली (अलवर केम्पस)-28, **निजी महाविद्यालय** नाइटिंगेल अलवर-2, देव इंटरनेशनल अलवर-8, अग्रसेन कन्या खेरली-4, डी.बी. खेरली-5, किशनगढ़बास पी.जी. किशनगढ़वास-16, नारायणीदेवी बहरोड़-7, बहरोड़ पी.जी. बहरोड़-6।

   जयपुर-I (590) - राजकीय महाविद्यालय जयपुर-18, आयुक्तालय जयपुर-60, संगीत संस्थान-9, स्कूल ऑफ आर्ट्स-19, कोटपुतली-54, विज्ञान एवं वाणिज्य चिमनपुरा-53, कला चिमनपुरा-39, कला दौसा-54, दौसा-34, महुआ-4, सिकराय-6, लालसोट-16, कन्या कोटपुतली-11, कन्या शाहपुरा-22, कन्या दौसा-21, कन्या लालसोट-6, **निजी महाविद्यालय** सुबोध जयपुर-40, अग्रसेन टी.टी.जामडोली-20, निजी विश्वविद्यालय जयपुर-20, राजस्थान **विश्वविद्यालय**-60, संस्कृत जयपुर-24

जयपुर-II (256) - राजकीय महाविद्यालय टोंक-54, देवली-7, मालपुरा-11, उनियारा-14, निवाई-11, कालाडेरा-75, टोडारायसिंह-2, सांभरलेक-33, कन्या टोंक-10, कन्या चौमूं-30, **निजी महाविद्यालय** एस.जी. पारीक चौमूं-9

सवाईमाधोपुर (151)-राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर-49, गंगापुरसिटी-23, खंडार-4, बामनवास-1, करौली-38, हिंडोनसिटी-12, टोडाभीम-2, सपोटरा-2, नादोती-3, कन्या सवाईमाधोपुर-10, कन्या करौली-7

सीकर (468) - राजकीय महाविद्यालय कला सीकर-30, वाणिज्य सीकर 8, विज्ञान सीकर-22, नीम का थाना-39, रामगढ़ शेखावटी-12, झुंझुनु-20, गुढ़ा-8, नवलगढ़-7, खेतड़ी-26, चुरू-53, सुजानगढ़-16, रतनगढ़-13, तारानगर-4, सरदारशहर-14, राजगढ़-4, कन्या सीकर-45, कन्या होद-4, कन्या नीम का थाना-12, कन्या झुंझुंनु-13, कन्या चुरू-1, कन्या रतनगढ़-2, विधि सीकर-2, विधि चूरू-1, **निजी महाविद्यालय** एम.डी. विज्ञान झुंझुनु-18, जे. बी. शाह झुंझुनु-7, पौद्दार नवलगढ़-12, राकेश पी.जी. पिलानी-20, भरासिया सूरजगढ़-20, कृष्णा सत्संग सीकर-1, मित्तल कन्या सरदारशहर-8, के.के.सी. सरदारशहर-2, मोतीलाल झुन्झुनु-6, न्यू राजस्थान झुन्झुनु-3, मोहता सादुलपुर-7, युक्ता बिन्दल सादुलपुर-2, तोला सादुलपुर-2, सीकर विश्वविद्यालय सीकर-4,

श्रीगंगानगर (676) - राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर-37, सूरतगढ़-19, अनूपगढ़-4, हनुमानगढ़-14, नोहर-20, श्री करणपुर-5, कन्या श्रीगंगानगर-43, कन्या सादुलशहर-6, **निजी महाविद्यालय**-528

बीकानेर (518) - राजकीय महाविद्यालय बीकानेर-127, नोखा-11, लूणकरणसर-2, नागौर-20, डेगाना-4, मेड़तासिटी-9, डीडवाना-23, मंगलाना-1, खींवसर-1, कन्या बीकानेर-57, कन्या नागौर-3, विधि बीकानेर-3, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर-2, **निजी महाविद्यालय** बिनानी कन्या बीकानेर-9, बेसिक पी.जी. बीकानेर-12, श्री डूंगरगढ़ कॉलेज डूंगरगढ़-7, ज्ञान विधि बीकानेर-4, बी.जी.एस. रामपुरिया बीकानेर-13, सिस्टर निवेदिता बीकानेर-4, नेहरु शारदापीठ, बीकानेर-14, जगदम्बा खाजूवाला-25, एस.के.एस. चण्डी खाजूवाला-8, आदर्श नोखा-3, बोथरा बीकानेर-3, शेशूमो डूंगरगढ़-6, भारती निकेतन डूंगरगढ़-5, सी.ई.टी. बीकानेर-10, महाराजा गंगासिंह **विश्वविद्यालय** बीकानेर-21, आई.ए.एस.ई. बीकानेर-6, वेटेनरी विश्वविद्यालय बीकानेर-40, कृषि वि. वि. बीकानेर-20, अभियान्त्रिकी महाविद्यालय बीकानेर-20, पॉलिटेक्निक बीकानेर-21, महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर-4,

बाड़मेर (67) - राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर-22, बालोतरा-6, बायतु-4, जैसलमेर-10, गुढ़ामलानी-2, पोकरण-2, कन्या बाड़मेर-9, कन्या बालोतरा-7, कन्या जैसलमेर-3, कन्या पोखरण-2,

जोधपुर (171) - राजकीय महाविद्यालय जोधपुर-20, ओसियाँ-12, फलौदी-3, भोपालगढ़ -15, बालेसर-5, बिलाड़ा-4, कन्या पीपाड़सिटी-5, बावड़ी-3, संस्कृत जोधपुर-4, **निजी महाविद्यालय** श्री पुष्टिकर स्मृति जोधपुर-12, महिला महाविद्यालय जोधपुर-8 जयनारायण व्यास **विश्वविद्यालय**, जोधपुर-17, पॉलिटेक्नीक जोधपुर-47, महिला पॉलिटेक्नीक जोधपुर-1, तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर-5।

पाली (148) - राजकीय महाविद्यालय पाली-39, सोजतसिटी-7, जैतारण-6, बाली-4, सुमेरपुर-5, आहोर-1, जालौर-12, भीनमाल-5, सिरोही-25, शिवगंज-6, आबूरोड़-11, कन्या पाली-6, कन्या जालौर-7, कन्या सिरोही-5, विधि पाली-3, **निजी महाविद्यालय** - एस. पी. सिरोही-6,

बांसवाड़ा (72) - राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा-26, कुशलगढ़-2, डूंगरपुर-19, कन्या बांसवाड़ा-13, कन्या डूंगरपुर-7, जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा-4, विवेकानंद आंजना-1,

उदयपुर (377) - राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा-12, सराड़ा-2, सलुम्बर-9, राजसमंद-14, नाथद्वारा-40, झाडोल-2, गोगुन्दा 4, आमेट-4, भीम-5, कन्या उदयपुर-118, कन्या खैरवाड़ा-5, कन्या नाथद्वारा-11, कन्या राजसमंद-1, मोहनलाल सुखाड़िया **विश्वविद्यालय**, उदयपुर-110, **निजी** बी.एन. विश्वविद्यालय उदयपुर-40

चित्तौड़ (74) - राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़-32, कपासन-3, निम्बाहेड़ा-7, मंडफिया-6, प्रतापगढ़-14, रावतभाटा-1, छोटी सादड़ी-3, बेगूं-1, कन्या चित्तौड़गढ़-7

भीलवाड़ा (142) - राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा-64, आसींद-2, मांडलगढ़-1, शाहपुरा-17, रायपुर-2, बनेड़ा-1, कन्या भीलवाड़ा-36, **निजी महाविद्यालय** पथिक बिजौलिया-6, महिला आश्रम भीलवाड़ा 7, ए.एस.टी.ए. गंगापुर-6

अजमेर (500) - राजकीय महाविद्यालय अजमेर-185, केकड़ी-14, ब्यावर-58, किशनगढ़-42, नसीराबाद-24, पुष्कर-8, कन्या अजमेर-37, कन्या सरवाड़-5, विधि अजमेर-4, **निजी महाविद्यालय** दयानंद अजमेर-22, बी.एड. हटुण्डी-1, गायत्री पुष्कर-5, दयानंद बालिका ब्यावर-8, वर्द्धमान बालिका ब्यावर-13, टाँक टी.टी. अजमेर-15, जियालाल टी.टी. अजमेर-2, लॉर्ड तिरुपति केकड़ी-10, केशव केकड़ी 2, ओकारसिंह मेमोरियल टीटी अजमेर-17, बालासती टीटी अजमेर-4, पॉलिटेक्नीक अजमेर-8, एम. डी. एस. **विश्वविद्यालय**, अजमेर-16

कोटा (553) - राजकीय महाविद्यालय कोटा-68, कला कोटा-75, वाणिज्य कोटा-11, रामगंजमंडी-3, सांगोद-7, बूंदी-54, कन्या कोटा-75, कन्या बूंदी-14, विधि कोटा-2, क्षेत्रीय कार्यालय-1, **निजी महाविद्यालय** एल जेबरा कोटा-15, लॉर्ड बुद्धा कोटा-1, एम.आई.एम.टी. कोटा-10, अकलंक कोटा-7, एम. डी. मिशन कोटा-3, माँ भारती कोटा-25, मोदी कोटा-1, संस्कृत कोटा-5, जैन दिवाकर कोटा-3, जाटिया रामगंजमंड़ी-6, अराधना ईटावा-5, चेचट-2, रघुकुल टी.टी. बून्दी-4, सर्वोदय टी.टी. बून्दी-10, एस.जी. राठी टी.टी. बून्दी-1, आजाद टीटी-5, सकलेन कापरेन बून्दी-6, पाटन कन्या बून्दी-7, एकलव्य बून्दी-8, संस्कार कापरेन बून्दी-4, महाराजा मूलसिंह बून्दी-9, संजीवनी बूंदी-3, विवेकानंद बून्दी-3, प्रगति बूंदी-4। कोटा **विश्वविद्यालय** कोटा-25, वर्द्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा-14, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा 20, कृषि विश्वविद्यालय कोटा-35,

बारां (101) - राजकीय महाविद्यालय बारां-29 झालावाड़-25, मनोहरथाना-2, खानपुर-2, भवानीमंडी-8, चौमहला-1, पिडावा-1, अभियांत्रिकी झालावाड़-10, कन्या झालावाड़-6, कन्या बारां-5 **निजी महाविद्यालय** अन्ता कॉलेज बारां-1, अमरचंद बरड़िया छबड़ा-9, महात्मा गोपालराम अन्ता-1, केशव अटरू-1

आप सभी से अजमेर अधिवेशन में मिलने की कामना के साथ।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतघ्न समझता हूँ, जो उनके बल पर शिक्षित बना और अब उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। - स्वामी विवेकानंद